

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक: F 12 RELIEF/75-100/SMF/ NOV 2025 AS

दिनांक: 21/11/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2079/JHU/0010911

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2079 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक raj kaj ref no. 3131092 & 1658-69 दिनांक 17.02.2023 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2079 (रबी-2022) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है:-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
नवलगढ़	14	SMF	75%-100%	138757
सुरजगढ़	7	SMF	75%-100%	141066
बुहाना	323	SMF	75%-100%	2683748
बिसाऊ	916	SMF	75%-100%	9331336
योग	1260			12294907

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[05]-12 बजट मद पर भारित होगी ।


जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भोगीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. प्रति जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षक पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर (सहा0) झुंझुनू

(E mail- Coll.reliefjin@gmail.com, Phone No – 01592232237)

क्रमांक:- एफ 1(5)(17) सहा0 / 2077 / 1113

दिनांक:- 26/11/2025

निमित्त :-

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एस.डी.आर.एफ. मद में डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर बजट आवंटन की प्रेषित बजट मांग के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)(1)आ.प्र.एवं.सहा./ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2023/920-55 दिनांक 19.06.2023 द्वारा जिला झुंझुनू के 969 ग्रामों को रबी फसल 2022-23 (संवत् 2079) में पाला एवं शीतलहर के अन्तर्गत अभावग्रस्त घोषित किया गया था। जिला झुंझुनू में प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु विभागीय निर्देशानुसार बजट मांग के साथ सलंगन करने हेतु दिनांक 03.04.2025 एवं 14.07.2025 के विभागीय पत्र के साथ सलंगन निर्धारित प्रपत्र की सूचना निम्नानुसार प्रेषित है।

प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक : AS/AGRI/2079/JHU/0010911, AS/AGRI/2079/JHU/0010916,
AS/AGRI/2079/JHU/0010915, AS/AGRI/2079/JHU/0010912, AS/AGRI/2079/JHU/0010913,
AS/AGRI/2079/JHU/0010914

मद/गतिविधि के लिये संवत्/अवधि में लाभार्थियों की कुल संख्या	मद में पूर्व में स्वीकृत उक्त पात्र लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में इस स्वीकृति में लाभार्थियों की		मद/गतिविधि में अवशेष लाभार्थियों की	
	संख्या	राशि (रु में)	संख्या	राशि (रु में)	संख्या	राशि (रु में)
प्रपत्र 7 डी के अनुसार 687408 डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड - 292679	211101	2,24,35,48,462 / -	6796	9,41,22,115 / -	30783	डी.एम.आई.एस. पोर्टल पर अवशेष राशि की रिपोर्ट जनरेट नहीं होती है।

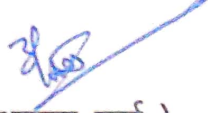
दोहरी प्रविष्टि के कारण डिस्कार्ड - 43999 कृषक

देरी का कारण :- रबी संवत् 2079 में प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिल तैयार कर कोष कार्यालय को प्रेषित किये गये थे। परन्तु कुछ काश्तकारों का भुगतान बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने इत्यादि के कारण निरस्त होने तथा कुछ बिल कोष कार्यालय के पास होने के बाद वित्त विभाग स्तर से ई.सी.एस. नहीं होने के कारण भुगतान लम्बित रहा है। वर्तमान में अवशेष 37579 लाभार्थियों का डेटा पोर्टल पर डयूप्लीकेट/त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रत्येक काश्तकार के डेटा को वेरिफाई किया जा रहा है, जिसे भी अतिशीघ्र वेरिफाई कर बजट मांग प्रेषित कर दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त विभागीय पत्र दिनांक 14.07.2025 के निर्देशानुसार निवेदन है कि आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कृषि आदान अनुदान हेतु बजट आवंटित करने के उपरान्त जिला स्तर से वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद बिल जनरेट करने पर तैयार बिलों की Excel Sheet तैयार कर प्रत्येक काश्तकार के विवरण मय बैंक खाता संख्या की जांच सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी से करवाये जाने के बाद ही बिल कोष कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। रबी संवत् 2079 के कृषि आदान अनुदान हेतु पूर्व में किये गये भुगतान में भी

सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन उपरान्त ही भुगतान किया गया था। उक्त 6796 काश्तकारों हेतु विभाग स्तर से राशि रु 941.22 ^{Lakhs} ~~करोड़~~ का विभाग स्तर से बजट आवंटित करने पर जिला स्तर से बिल जनरेट किये जाकर सम्बन्धित तहसीलदार एवं पटवारी के वेरिफिकेशन करवाकर आगामी 01 माह में भुगतान कर दिया जावेगा।

अतः काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु प्रेषित बजट मांग में बजट आवंटित करवाने का श्रम करावें, ताकि रबी सम्वत् 2079 में प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि का भुगतान किया जा सकें।


(डॉ. अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर झुन्झुनू